न्यायालय सिविल जज सी0डि0, उन्नाव
खफीफा वाद संख्या– 02/2018
देवी प्रसाद गुप्ता...........बनाम...........जहूर अहमद।

दिनाकः– 17.10.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 14ग नियत है।

प्रार्थना–पत्र 14ग द्वारा वादी प्रतिवादी पर जरिये प्रकाशन तामीला कराये जाने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी पर तामीला हेतु कई बार सम्मन साधारण व कई बार जरिये पंजीकृत डाक से सम्मन भेजा जा चुका है, परन्तु व तामीला के समय इधर–उधर हो जाता है और सम्मन लेने से गुरेज करता है। और फर्जी रिपोर्ट लगवाकर सम्मन को वापस करा देता है। इसलिये विपक्षीगण पर सम्मन तामीला हेतु प्रकाशन कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना–पत्र 14ग में उल्लिखित आधारों पर प्रतिवादीगण पर जरिये प्रकाशन तामीला कराये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

14ग प्रार्थना–पत्र, 15ग शपथ–पत्र से समर्थित है। प्रार्थना–पत्र के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए विपक्षी पर सम्मन व नोटिस का तामीला सामान्य तरीके से कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः तामीला जरिये प्रकाशन कराया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना–पत्र 14ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार प्रार्थना–पत्र 14ग स्वीकार किया जाता है। वादीगण प्रकाशन हेतु आवश्यक पैरवी एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार करे। सम्बन्धित लिपिक प्रकाशन बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20.11.2019 को पेश हो।

सिविल जज (सी0डि0)
उन्नाव।